

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] No. 497] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 2018/आषाढ़ 29, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 2018/ASHADHA 29, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2018

सं. 54/2018-सीमा शुल्क

सा.का.िन. 667(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्र. सं. 330 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 354/123/2017-टीआरयू (पार्ट)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.िन. संख्या 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 52/2018 सीमा शुल्क, दिनांक 14 जुलाई, 2018 को सा.का.िन. संख्या 648(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

4173 GI/2018 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2018

No. 54/2018-Customs

G.S.R. 667(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017, dated the 30th of June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th of June, 2017, namely:

In the said notification, in the Table, the S. No. 330 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 354/123/2017-TRU(pt)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 52/2018-Customs, dated the 14th July, 2018, published *vide* number G.S.R. 648(E), dated the 14th July, 2018.